सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश / व्यावसायिक प्रचालन /2026
नीति परिपत्र सं. 17.5.104 /2026 दिनांक 30th अक्टूबर, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल स. IHMCL-14013(12)/39/2026-ITS Cell (कम्प्युटर सं. 322170 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Commercial Operation /2026
Policy Circular No. 17.5.104 /2026 dated 30th October, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. IHMCL-14013(12)/39/2026-ITS Cell (Comp No. 322170)}

विषय: भविष्य की और निर्माणाधीन चार-लेन तथा उससे अधिक वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर बैरियर-मुक्त टोलिंग हेतु टोल प्लाजा विन्यास और अवसंरचना के संबंध में।

Sub.: Toll Plaza layout and Infrastructure for Barrier-Free Tolling on future and under-construction four-lane and above National Highways Projects- reg:-

संदर्भ: (i) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.82 दिनांक 24.05.2021।
(ii) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.96/2026 दिनांक 13.03.2026।
(iii) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.101/2026 दिनांक 27.08.2026।
(iv) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.93/2025 दिनांक 26.11.2025।

Ref:- (i) NHAI Policy Circular No. 17.5.82/2021 dated 24.05.2021.
(ii) NHAI Policy Circular No. 17.5.96/2026 dated 13.03.2026.
(iii) NHAI Policy Circular No. 17.5.101/2026 dated 27.08.2026.
(iv) NHAI Policy Circular No. 17.5.93/2025 dated 26.11.2025.

पृष्ठभूमि:
Background:

1.1 भारत सरकार द्वारा सभी चार-लेन और उससे अधिक वाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर-मुक्त टोलिंग के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। बैरियर रहित टोलिंग व्यवस्था के तहत किसी भी भौतिक बैरियर के बिना गैंट्री-माउंटेड एएनपीआर कैमरों और आरएफआईडी रीडरों के माध्यम से मुक्त-प्रवाह गति पर उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाता है। चूंकि नॉन-स्टॉप टोलिंग के कारण प्रत्येक लेन की प्रवाह क्षमता बढ़ जाती है इसलिए सड़क सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए प्लाजा पर आवश्यक टोलिंग लेन की संख्या को पारंपरिक शुल्क प्लाजा की तुलना में युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।
The Government of India envisages implementation of Barrier-Free Tolling on all four-lane and above National Highways. Under the Barrier less tolling regime, User fee is collected at free-flow speed through gantry-mounted ANPR cameras and RFID readers without any physical barrier. As the throughput of an individual lane increases on account of non-stop tolling, the number of tolling lanes required at a Plaza may be rationalised in comparison with a conventional fee plaza, with road safety kept squarely under consideration.

Contd....2/-

1.2 भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.82/2021 दिनांक 24.05.2021 के तहत वर्तमान में निर्धारित टोल प्लाजा अभिकल्प में तदनुसार संशोधन की आवश्यकता है ताकि सड़क सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आगामी राजमार्ग परियोजनाओं में टोल प्लाजा को बैरियर-रहित टोलिंग आवश्यकताओं के अनुकूल डिजाइन और निर्मित किया जा सके।
The Toll Plaza design presently prescribed under NHAI Policy Circular No. 17.5.82/2021 dated 24.05.2021 accordingly requires revision, so that Toll Plazas in upcoming Highway Projects are designed and constructed compatible with Barrier-Less Tolling requirements, keeping road safety squarely under consideration.

2. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता:
Scope and Applicability:

2.1 यह परिपत्र चार-लेन और उससे अधिक वाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर लागू होगा।
This Circular shall apply to Toll plazas on four-lane and above National Highways.

2.2 चार-लेन और उससे अधिक वाली राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नीति परिपत्र संख्या 17.5.82/2021 दिनांक 24.05.2021 के प्रावधान इस परिपत्र में प्रदान की गई सीमा तक संशोधित माने जाएंगे। उक्त परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
The provisions of Policy Circular No. 17.5.82/2021 dated 24.05.2021 shall stand modified to the extent provided in this circular for four-lane and above National Highways. All other Provisions of the said Circular shall remain unchanged.

3. बैरियर-रहित टोलिंग प्रणाली:
The Barrier-Less Tolling System:

3.1 बैरियर-रहित टोलिंग प्रणाली में गंट्री-माउंटेड उच्च-निष्पादन आरएफआईडी रीडर, एक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरा सिस्टम और अन्य आवश्यक उपस्कर शामिल होंगे। यह प्रणाली चलती हुई गाड़ियों की पहचान करेगी और वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता के बिना फास्टैग के माध्यम से लागू उपयोगकर्ता शुल्क काट लेगी। एक वैध और प्रकार्यात्मक त्वरित पट्टी के बिना वाहनों के संबंध में यह प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 14 के अनुसार एक ई-नोटिस जारी करेगी।
The Barrier-Less Tolling System shall comprise gantry-mounted high-performance RFID readers, an Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera system and other requisite equipment. The System shall identify vehicles in motion and deduct the applicable User Fee through FASTag without requiring vehicles to stop at the Toll Plaza. In respect of vehicles without a valid and functional FASTag, the system shall generate an e-Notice in accordance with Rule 14 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3.2 बैरियर-रहित टोलिंग प्रणाली में एक पे एक्सिस गैंट्री (एफओबी प्रकार) और मल्टी-लेन मुक्त प्रवाह (एमएलएफएफ) गैंट्री शामिल होंगे। जहाँ पे एक्सिस गैंट्री उपयोगकर्ता शुल्क कटौती के लिए मुख्य प्रणाली होगी और एमएलएफएफ गैंट्री एक बैक-अप प्रणाली के रूप में कार्य करेगी।
The Barrier-Less Tolling System shall consist of a Pay Axis Gantry (FOB type) and Multi-Lane Free Flow (MLFF) Gantry. Whereas the Pay Axis Gantry shall be the main system for User fee deduction, the MLFF Gantry shall act as a back-up system.

Contd....3/-

4. पे एक्सिस गैंट्री पर प्लाजा लेन विन्यास:
Plaza Lane Configuration at Pay Axis Gantry:

4.1 पे एक्सिस गैंट्री टोल प्लाजा स्थल पर स्थित होगी। पे एक्सिस गैंट्री पर लेन की संख्या सारणी-1 के अनुसार प्रस्तावित है (लेन थ्रूपुट 600 वाहन/घंटे को ध्यान में रखते हुए)। इसमें आपात स्थिति से निपटने के लिए ओवर डाइमेंशन (ओडी) / स्पेयर लेन भी शामिल हैं:

The pay axis gantry shall be located at the Toll Plaza location. The number of lanes at the pay axis gantry are proposed as per Table-1 (considering lane throughput as 600 vehicles/hour). This also includes Over Dimension (OD) / spare lane to address emergencies:

सारणी-1: एमएलएफएफ टोल प्लाजा पर टोल लेन की संख्या

Table-1: Number of toll lanes at MLFF Toll Plazas

राजमार्ग विन्यास Highway Configuration	ओडी लेन / स्पेयर लेन सहित एमएलएफएफ टोल प्लाजा में लेन की संख्या Number of Lanes in MLFF Toll Plaza including OD Lane/ Spare Lane
4-लेन राजमार्ग 4-Lane Highway	8 (4+4)
6-लेन राजमार्ग 6-Lane Highway	10 (5+5)
8-लेन राजमार्ग 8-Lane Highway	12 (6+6)

4.2 पे एक्सिस गैंट्री पर टोल लेन की चौड़ाई **3.5 मीटर** होगी ताकि मुक्त-प्रवाह गति से गैंट्री को पार करने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्श्व अवकाश प्रदान किया जा सके और उच्च निष्पादन वाले उपस्कर द्वारा विश्वसनीय कैप्चर और रीडिंग सुनिश्चित की जा सके। ओडी लेन **4.5 मीटर** चौड़ी होगी।

The Toll lane width at the pay axis gantry shall be **3.5 m**, so as to provide adequate lateral clearance for Vehicles traversing the gantry at free-flow speed and to ensure reliable capture and reading by the high performance equipment. The OD Lane shall be **4.5 m** wide.

4.3 टोल लेन पृथककारी (सेपरेटर) स्प्रिंग बोलार्ड के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

The Toll lane separators shall be provided as spring bollards.

4.4 जहां भी संभव हो टोल प्लाजा राजमार्ग के सीधे खंड पर प्रदान किए जाएंगे।

Toll plazas shall, wherever feasible, be provided on a straight section of the Highway.

4.5 पे कॉरीडोर 70 मीटर का होगा जिसमें पे एक्सिस गैंट्री के प्रत्येक पक्ष (35 मीटर + 35 मीटर) 1:20 के टेपरिंग के साथ 35 मीटर का कुट्टिम सतह गुणवत्ता कंक्रीट (पीक्यूसी) होगा।

The pay corridor shall be **70 m**, with Pavement Quality Concrete (PQC) of **35 m on each side (35 m + 35 m)** of the pay axis gantry with tapering of **1:20.**

4.6 चार लेन राजमार्ग के लिए विशिष्ट बैरियर रहित टोल प्लाजा विन्यास **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

The typical Barrier Less Toll Plaza layout for a four lane highway is given at **Annexure-I.**

Contd....4/-

5. एमएलएफएफ गैंट्री की स्थापना:
Placement of MLFF Gantry:

5.1 एक एमएलएफएफ गैंट्री बैकअप प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और इसे यानपथ के दोनों ओर पे एक्सिस गैंट्री को पार करने के बाद रखा जाएगा । गैंट्री को अधिमानतः पे एक्सिस गैंट्री के 200-350 मीटर के भीतर रखा जाएगा।
A MLFF Gantry shall act as a backup system and placed after crossing the pay axis Gantry on either side of the Carriageway. The Gantry shall be placed preferably within 200-350m of the pay axis Gantry.

6. गैंट्री की स्पष्ट ऊँचाई:
Clear Height of Gantries:

6.1 जैसा कि भाराराप्रा परिपत्र संख्या 17.5.96/2026 दिनांक 13.03.2026 द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है कि फिनिश्ड सड़क स्तर (एफआरएल) से गैंट्री-माउंटेड उपस्कर (कैमरा या रीडर) के निचले हिस्से तक की स्पष्ट ऊँचाई 6.0 मीटर से कम नहीं होगी ताकि एमएलएफएफ टोलिंग उपस्कर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अवकाश उपलब्ध हो सके।
The clear height from the Finished Road Level (FRL) to the bottom of the gantry-mounted equipment (camera or reader) shall not be less than **6.0 m**, so that sufficient clearance is available for the safety of the MLFF tolling Equipment as already issued vide NHAI Circular No. 17.5.96/2026 dated 13.03.2026.

7. प्रशासनिक भवन एवं ओएंडएम केंद्र:
Administrative Building and O&M Centre:

7.1 भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.101/2026 दिनांक 27.08.2026 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक भवन-सह-ओएंडएम केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग बैरियर रहित प्लाजा संचालन के लिए बैक ऑफिस के रूप में किया जाएगा।
The Administrative Building-cum-O&M Centre shall be constructed as per Provision of NHAI Policy Circular No. 17.5.101/2026 dated 27.08.2026. It shall be utilized as the back office for Barrier Less plaza operations.

8. सड़क सुरक्षा: अग्रिम संकेत, वीएमएस और प्रदीप्ति:
Road Safety: Advance Signage, VMS and Illumination:

8.1 आगे बैरियर रहित प्लाजा गैंट्री को इंगित करने के लिए अग्रिम दिशा संकेत प्रदान किए जाएंगे जिन्हें प्लाजा से पहले एक उपयुक्त दूरी पर (उदाहरण के लिए 500 मीटर पर) प्रदर्शित किया जाएगा ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं को एमएलएफएफ गैंट्री तक पहुंचने से पहले समय रहते चेतावनी दी जा सके और उनका मार्गदर्शन किया जा सके।
Advance direction signage shall be provided to indicate the Barrier Less Plaza Gantry ahead, displayed at an appropriate distance in advance of the Plaza (for instance, at 500 m) so as to warn and guide road Users well in time before they reach the MLFF gantry.

8.2 ओडी वाहनों के बेहतर नियंत्रण के लिए तथा सड़क उपयोगकर्ताओं को अग्रिम चेतावनी और संदेश देने के लिए टोल प्लाजा से लगभग 1 किमी आगे एक परिवर्ती संदेश चिह्न (वीएमएस) गैंट्री प्रदान किया जाएगा।
A Variable Message Sign (VMS) Gantry shall be provided about 1 km ahead of the Toll Plaza for better control of OD vehicles and for advance warning and messaging to road Users.

Contd....5/-

8.3 बैरियर रहित टोल प्लाजा के लिए गैंट्री शिरोपरि दिशा चिह्न **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं और अग्रिम साइनेज विकल्प **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।
The Gantry Overhead Direction Sign for Barrier Less Toll Plazas is placed at **Annexure-II** and the advance signage options are placed at **Annexure-III.**

8.4 बैरियर रहित प्लाजा क्षेत्र का पर्याप्त प्रदीप्ति हाई-मास्ट लाइटिंग के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह न केवल रात के समय सड़क सुरक्षा के लिए बल्कि बैरियर रहित टोलिंग उपस्कर के दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एएनपीआर कैमरों, रीडरों और सम्बद्ध सेंसरों का प्रदर्शन गैंट्री स्थल पर उपलब्ध प्रदीप्ति के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है।
Adequate illumination of the Barrier Less Plaza zone shall be provided by way of high-mast lighting. This is important not only for night-time road safety but also for the efficiency of the barrier less tolling equipment, since the performance of the ANPR Cameras, Readers and allied sensors is directly dependent on the level of illumination available at the gantry location.

9. राजमार्ग निर्माण परियोजना के तहत कार्यक्षेत्र:
Scope of Work under the Highway Construction Project:

9.1 ईपीसी/एचएएम/आइटम रेट परियोजनाएं (सार्वजनिक वित्त पोषित प्लाजा)
EPC/HAM/Item Rate Projects (Public Funded Plazas)

(A) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.93/2025 दिनांक 26.11.2025 की शर्तों के अनुसार राजमार्ग निर्माण परियोजना के तहत कार्यक्षेत्र निम्नलिखित सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों तक सीमित रहेगा:
The Scope of work under the Highway Construction Project shall be limited to civil and electrical works as under in terms with the NHAI Policy Circular No. 17.5.93/2025 dated 26.11.2025:

(a) पे एक्सिस गैंट्री का निर्माण।
Construction of the Pay Axis Gantry.

(b) प्लाजा पर और उसके आसपास के सभी सड़क कार्य (पीक्यूसी आदि)।
All road works (PQC etc) at and around the Plaza.

(c) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.101/2026 दिनांक 27.08.2026 के अनुसार प्रशासनिक भवन का निर्माण।
Construction of the Administrative Building in terms with NHAI Policy Circular No. 17.5.101/2026 dated 27.08.2026.

(d) रॉ पावर सप्लाई और हाई-मास्ट लाइटिंग का प्रावधान और स्थापना (हर तरह से पूर्ण नींव, पोल कार्य और लाइटिंग फिक्सचर सहित)।
Provision and installation of the raw power supply and the high-mast lighting (including foundation, pole work and lighting fixtures, complete in all respects).

(e) डीपीआर सेल द्वारा प्रदान किए गए डिजाइनों के अनुसार अग्रिम साइनेज और उनके सहायक ढांचे / नींव।
Advance signage and their supporting structures / foundations, as per the designs provided by the DPR Cell.

(f) प्लंबिंग, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, जल निकासी, शिरोपरि और भूमिगत पानी की टंकियां।
Plumbing, Water supply, Sewerage, Drainage, Overhead and Underground water tanks.

Contd....6/-

(g) संबंधित नींव और स्थापना के साथ न्यूनतम 125 केवीए रेटिंग के बैकअप जनरेटर (डीजी) का प्रावधान।
Provision of a backup generator (DG) of minimum 125 kVA rating, with associated foundation and installation.

(B) भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.93/2025 दिनांक 26.11.2025 के अनुरूप बैरियर रहित (एमएलएफएफ) टोल सेवा प्रदाता (बैंक/सिस्टम इंटीग्रेटर) को आईएचएमसीएल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सेवा प्रदाता पे एक्सिस गैंट्री और एमएलएफएफ गैंट्री पर बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, नेटवर्किंग, कमीशनिंग, संचालन और अनुरक्षण सहित बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) समाधान लागू करेगा। समाधान प्रदाता प्रशासनिक भवन में टोल प्लाजा नियंत्रण कक्ष भी लागू और स्थापित करेगा। समाधान प्रदाता पे एक्सिस गैंट्री के आगे एमएलएफएफ गैंट्री का निर्माण भी करेगा। सेवा प्रदाता बिजली आपूर्ति, गैंट्री लाइटिंग और हाई-मास्ट लाइटिंग के आवर्ती शुल्कों (ऊर्जा शुल्कों सहित) को जमा करेगा।
The Barrier less (MLFF) Toll Service Provider (Bank/System Integrator) shall be appointed by IHMCL in terms with the NHAI Policy Circular No 17.5.93/2025 dated 26.11.2025. The Service Provider shall implement Barrier less Electronic Toll Collection (ETC) solution including supply of all required equipment, installation, testing, networking, commissioning, operating and maintaining Barrier less Tolling System on the pay axis Gantry and MLFF Gantry. The solution provider will also implement and set up Toll Plaza control room at the Administrative Building. The Solution provider shall also construct the MLFF Gantry ahead of the pay axis Gantry. The Service provider shall deposit the recurring charges (including energy charges) of the power supply, the gantry lighting and high-mast lighting.

9.2 बीओटी (टोल) / टीओटी/ इनविट/ आरआईआईटी परियोजनाएं (कंसेसनेयर प्लाजा): BOT(Toll)/TOT/InvIT/RIIT Projects (Concessionaire Plazas):

(a) कंसेसनेयर आगामी परियोजनाओं में कंसेसन करार के प्रावधानों के अनुसार बैरियर रहित टोल प्लाजा लागू करेगा।
The Concessionaire shall implement the Barrier Less Toll Plazas as per the provision of the Concession Agreement in upcoming Projects.

10. भविष्य की/निर्माणाधीन परियोजनाओं में इस परिपत्र को अपनाया जाना:
Adoption of this Circular in future/under-construction Projects:

10.1 इस परिपत्र के प्रावधानों को नीचे दी गई सारणी-2 के अनुसार विभिन्न चरणों (निर्माणाधीन) पर राजमार्ग परियोजनाओं में अपनाया जाएगा:
The provision of this circular shall be adopted in Highway Projects at different stages (under construction) in accordance with Table-2 given below:

Contd....7/-

सारणी-2
Table-2

क्र. सं. S. No.	परियोजना का चरण Stage of the Project	एमएलएफएफ टोल प्लाजा को अपनाया जाना Adoption of the MLFF Toll Plaza
1	डीपीआर के तहत परियोजना Project under DPR.	बोली दस्तावेज में बैरियर रहित प्लाजा विन्यास को अपनाया जाएगा The Barrier Less plaza layout shall be adopted in the bid document
2	परियोजना आवंटित, नियत तिथि लंबित Project awarded, Appointed Date (AD) pending.	बैरियर रहित प्लाजा विन्यास को धनात्मक/ऋणात्मक कार्यक्षेत्र परिवर्तन* के माध्यम से अपनाया जाएगा। The Barrier Less plaza layout shall be adopted through +ve /-ve Change of Scope (COS)*.
3	परियोजना निर्माणाधीन - टोल प्लाजा निर्माण शुरू नहीं हुआ Project under construction - Toll Plaza construction not started	बैरियर रहित प्लाजा विन्यास को धनात्मक/ऋणात्मक कार्यक्षेत्र परिवर्तन* के माध्यम से अपनाया जाएगा। The Barrier Less Plaza layout shall be adopted through +ve /-ve Change of Scope (COS)*.
4	परियोजना निर्माणाधीन - ईटीसी अवसंरचना की खरीद नहीं की गई है (अपेक्षित पीसीओडी / सीओडी में कम से कम 6 महीने बाकी हैं) Project under construction - ETC infrastructure not procured (expected PCOD / COD at least 6 months away)	बैरियर रहित प्लाजा विन्यास को जहां तक संभव हो धनात्मक/ऋणात्मक कार्यक्षेत्र परिवर्तन* के माध्यम से अपनाया जाएगा। The Barrier Less plaza layout shall be adopted to the extent possible through +ve / -ve Change of Scope (COS)*.
5	परियोजना निर्माणाधीन - ईटीसी अवसंरचना पहले से ही स्थापित/क्रय किया जा चुका है; 6 महीने के भीतर अपेक्षित सीओडी Project under construction - ETC infrastructure already installed / procured; expected COD within 6 months	(a) टोल प्लाजा का निर्माण मौजूदा / संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। The Toll Plaza shall be constructed as per the existing / contractual provisions. (b) बैरियर रहित टोलिंग को बाद में आईएचएमसीएल के माध्यम से लागू किया जाएगा Barrier Less Tolling shall be implemented later through IHMCL

10.2 जहां भी लागू हो, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन संबंधित संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
The change of scope, wherever applicable shall be processed in accordance with the Provisions of the respective contract agreement.

Contd....8/-

11. कार्यान्वयन:
Implementation:

11.1 सभी क्षे. का. / पीआईयू, डीपीआर परामर्शदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस परिपत्र के प्रावधानों को आगामी सभी चार-लेन और उससे अधिक वाली राजमार्ग परियोजनाओं की डीपीआर, बोली दस्तावेजों और अनुसूचियों में शामिल किया जाए तथा पैरा-9 के अनुसार जारी परियोजनाओं में अपनाया जाए।
All ROs / PIUs, DPR Consultants shall ensure that the Provisions of this Circular are incorporated in the DPRs, Bid documents and Schedules of all upcoming four-lane and above Highway Projects and are adopted in ongoing Projects as per para- 9.

12. सभी चार लेन और उससे अधिक वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के तहत टोल प्लाजा के लिए भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 17.5.82/2021 दिनांक 24.05.2021 का प्रावधान ऊपर उल्लिखित सीमा तक अधिक्रमित माना जाएगा। दो-लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना राजमार्गों पर नीति परिपत्र संख्या 17.5.82 दिनांक 24.05.2021 के अनुसार नियमित टोलिंग जारी रहेगी।
The Provision of NHAI Policy Circular No. 17.5.82/2021 dated 24.05.2021 stands superseded to the extent mentioned above for Toll Plazas under all four lane and above National Highway development Projects. Two-lane paved shoulder Project Highways shall continue with regular tolling as per Policy Circular No. 17.5.82/2021 dated 24.05.2021

13. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्नक: यथोपरी।
Encl.: As stated above.

30/X/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

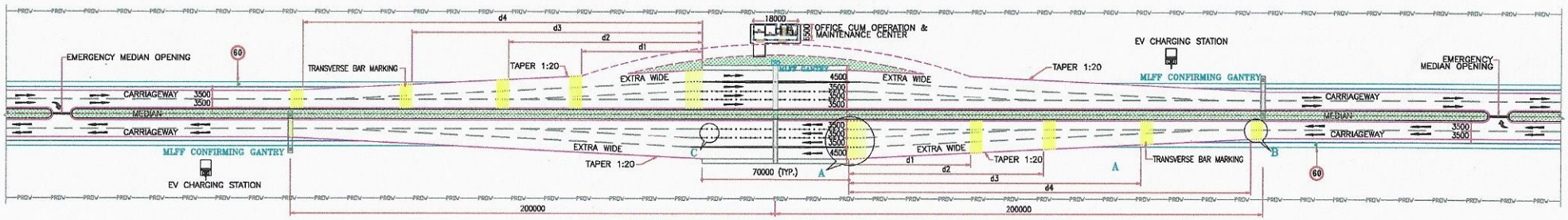
1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.

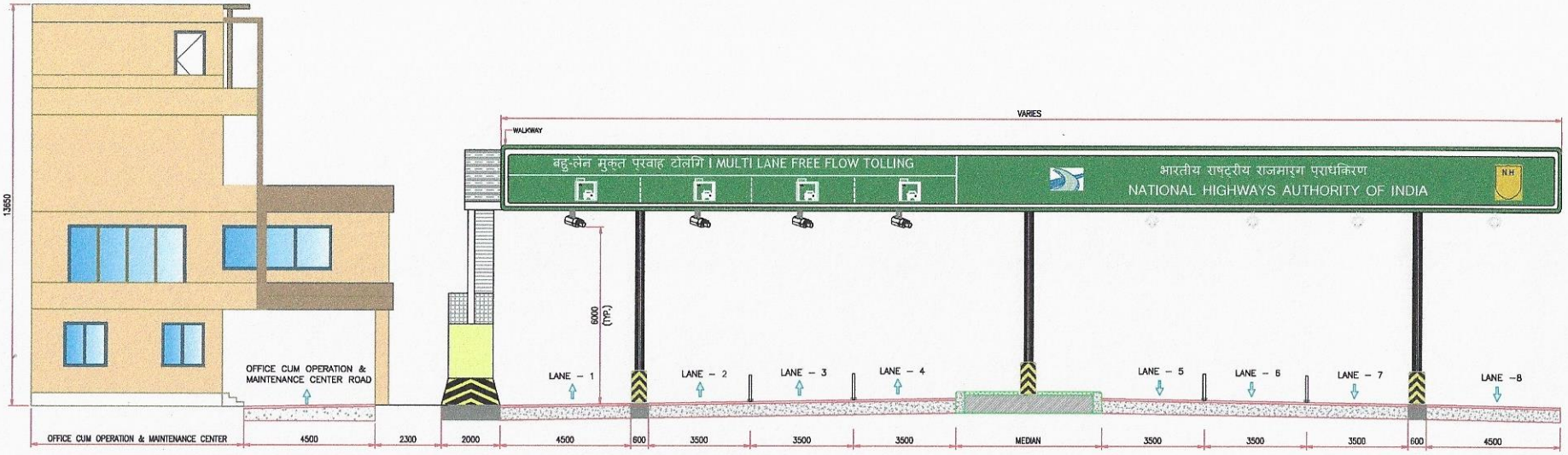
4. सीईओ, आईएचएमसीएल।
CEO, IHMCL.

ANNEXURE-1

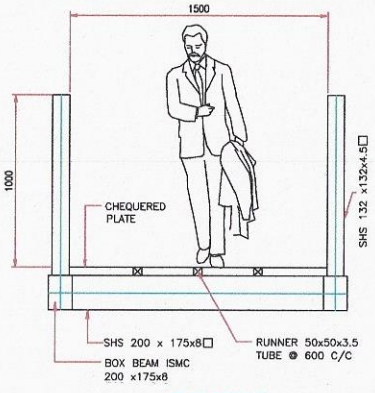


TYPICAL LAYOUT PLAN OF (3+1) + (3+1) LANE TOLL PLAZA FOR 4 LANE HIGHWAY

APPROACH SPEED (Kmph)	BAR MARKING (NUMBER OF TM08)	DISTANCE (d1, d2, d3, d4) from hazard
60 to 80	4 set	d1=50, d2=80, d3=120, d4=165

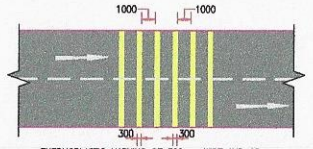


TYPICAL LAYOUT PLAN OF (3+1) + (3+1) LANE TOLL PLAZA FOR 4 LANE HIGHWAY



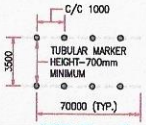
WALKWAY



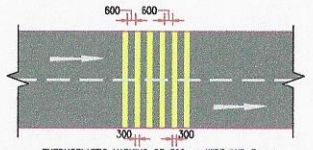


THERMOPLASTIC MARKING OF 300mm WIDE AND 15mm HEIGHT, AT 1000mm APART (ONE SET IS 6 STRIPS)

DETAIL –A



DETAIL –C

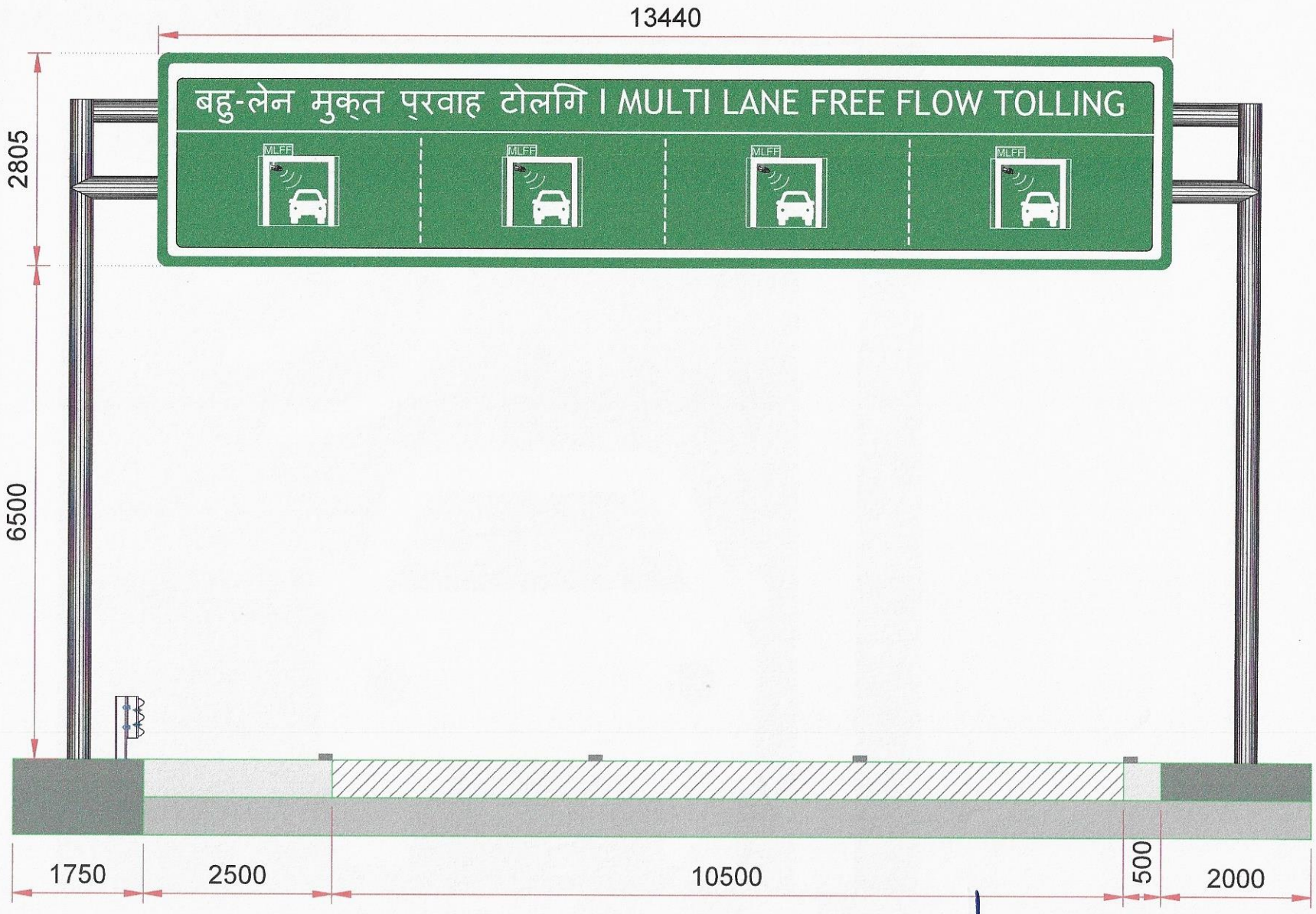


THERMOPLASTIC MARKING OF 300mm WIDE AND 5mm HEIGHT, AT 600mm APART (ONE SET IS 6 STRIPS)

DETAIL –B

ANNEXURE-II

Gantry Overhead Direction Sign



ANNEXURE-III

